



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102025-266760
CG-DL-E-08102025-266760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947

No. 653]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 737(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 8 अक्टूबर, 2012 को प्रकाशित पूर्ववर्ती कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 752 (अ) तारीख 5 अक्टूबर 2012 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसी अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित के अधीन अनुसूची में अधिकांशित रीति में भारत में घोड़े अथवा अन्य अश्वों के आयात को विनियमित करती है:-

अनुसूची

- साधारण अपेक्षा.-घोड़े अथवा अन्य अश्व के साथ वैध पासपोर्ट होगा या निर्यातक देश के शासकीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्यक्तः अधिप्रमाणित पहचान प्रमाण-पत्र के साथ उसका संपूर्ण पूर्ववृत्त संलग्न होना चाहिए।
- शुद्ध नस्ल के घोड़ों के मामले में, आयात केवल प्रजनन, पोलो और खेल के प्रयोजनों के लिए ही अनुमत होगा, घुड़दौड़ के लिए आयात की अनुमति नहीं होगी।

3. **परीक्षण की अपेक्षा.-** (1) निर्यात से पहले, घोड़े या अन्य अश्वों के निर्यात-पूर्व संगरोध के दौरान सारणी में यथाउल्लिखित नैदानिक परीक्षण के माध्यम से लागू रोगों के लिए परीक्षण किया जाएगा।
- (2) घोड़ों अथवा अन्य अश्व का आयात केवल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों या समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य हवाई अड्डे के माध्यम से किया जाएगा।
- (3) आयातक, जहाज पर चढ़ने से सात दिनों पूर्व हवाई अड्डों पर संलग्न पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा के क्षेत्रीय अधिकारी या संगरोध अधिकारी को पशुचिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ-साथ सारणी में दर्शाए परीक्षणों के पूर्ण होने के बाद सभी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
- (4) मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही घोड़े या अन्य अश्व को जहाज से उतरने को अनुज्ञात किया जाएगा।
4. **विशेष अपेक्षा.-** निर्यातक राज्य या देश में अनुज्ञप्तिधारी और प्रत्यायित शासकीय पशुचिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित अंग्रेजी भाषा के पशुचिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिसमें प्ररूप क के अनुसार उस पशु का शारीरिक परीक्षण किया गया हो, द्वारा प्रमाणित किए बिना देश में किसी घोड़े या अश्व का आयात नहीं किया जाएगा।

प्ररूप क

(क) साधारण सूचना:

प्रेषक का नाम व पता:	प्रमाण पत्र संदर्भ सं. पशुचिकित्सा प्राधिकारी:
प्रेषित का नाम व पता:	
मूल देश:	
गंतव्य देश:	
स्थापना या फार्मों के नाम व पते (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) घोड़ा अथवा अन्य अश्व के रुकने की अवधि की वास्तविक तारीख को विनिर्दिष्ट करें:	
लदान का ब्यौरा: (उड़ान संख्या और यात्रा की तारीख विनिर्दिष्ट करें। यदि यात्रा में ब्रेक लिया गया हो तो ब्रेक यात्रा का ब्यौरा दें)	
शासकीय पशुचिकित्सक का ब्यौरा जिसने घोड़े या अश्वों की जांच की है:	
परीक्षण की तारीख,के ब्यौरे परीक्षण किए गए घोड़े या अन्य अश्वों की संख्या:	
उस स्थापन या परिसर का ब्यौरा जहां घोड़े या अन्य अश्वों का परीक्षण किया गया:	
आयात का प्रयोजन:	
आयात अनुज्ञप्ति संख्या और तारीख: (विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी)	

(ख) घोड़े या अन्य अश्व का ब्यौरा:

प्रजाति	नस्ल	नाम तथा माइक्रोचिप संख्या	लिंग	आयु/जन्मतिथि	पासपोर्ट संख्या और पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकारी	सायर	डैम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(ग) घोड़े या अन्य अश्व के रेखाचित्र, निशान व विवरण:

(लिखित विवरण घोड़े अथवा अन्य अश्वों के रेखा चित्र के अनुरूप होना चाहिए)

स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि पूर्वोक्त वर्णित घोड़े व अन्य अश्व का आज परीक्षण किया गया और प्रमाणित किया जाता है कि:-

(1) (i) घोड़ा अथवा अन्य अश्व लदान के पिछले दो वर्षों से अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस वायरस से मुक्त है;

(ii)(देश का नाम) विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की सूची के अनुसार निर्यात से पहले पिछले दो वर्षों से अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस वायरस से मुक्त है;

(iii) अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस देशभर में अधिसूचनीय रोग है, व्यवस्थित टीकाकरण प्रतिबंधित है, अश्वों और उनके वीर्य, अंडक अथवा उनके भ्रूण का आयात पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड के अध्याय 12.1 के अनुसार किया जाता है;

(iv) घोड़े अथवा अन्य अश्व ने निर्यात के पिछले दो वर्षों से अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस से संक्रमित किसी देश की यात्रा न की हो अथवा ऐसे देश में न गए हों;

(v) निर्यात की तारीख को घोड़े अथवा अन्य अश्व में अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस का कोई लक्षण उपदर्शित नहीं हुआ है;

(vi) संक्रमित क्षेत्र के माध्यम से आवागमन के समय हर बार घोड़े या अन्य अश्व को कुलीक्वायड्स से संरक्षित किया गया;

(vii) घोड़े या अन्य अश्व को निर्यात से ठीक चालीस दिन पहले अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस (एएचएस) के लिए टीका नहीं लगाया गया हो।

(2)*घोड़े या अन्य अश्व में लदान के दिन अश्व से संबंधित किसी भी संक्रामक या संचारी रोग के कोई नैदानिक संकेत या लक्षण नहीं दिखे हैं, जिनमें संक्रामक इक्वाइन मेट्राइटिस, जापानी एन्सेफलाइटिस, डौरीन, इक्वाइन हर्पीज वायरस1, इक्वाइन वायरल आर्टेराइटिस, वेनेजुएला इक्वाइन एन्सेफलाइटिस और ग्लैंडर्स शामिल हैं।

(3) (i) **विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की सूची के अनुसार, निर्यात से पहले पिछले दो वर्षों से मूल देश संक्रामक इक्वाइन मेट्राइटिस से मुक्त रहा हो;

अथवा

(ii) **घोड़े या अन्य अश्व को जन्म से ही या शिपमेंट से कम से कम दो वर्ष पहले किसी प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठान का नाम) और झुंड में रखा गया हो जो टेलोएला इक्विजेनिटलिस (संक्रामक अश्व मेट्राइटिस) के संक्रमण से मुक्त रहा हो;

अथवा

(i) कम से कम पिछले साठ दिनों से ऐसे झुंड और प्रतिष्ठान में रखा गया हो जिसमें उस अवधि के दौरान कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया हो;

(ii) अभिकर्ता का पता लगाने के लिए परीक्षण किए गए हों, जिनके परिणाम नकारात्मक रहे हों, ये परीक्षण बारह दिनों की अवधि के भीतर तीन बार एकत्र किए गए नमूनों पर किए गए हों, तथा नमूना संग्रहों के बीच कम से कम तीन दिनों का अंतराल हो, और अंतिम परीक्षण शिपमेंट से तीस दिन पहले किया गया हो।

(iii) घोड़ों का कम से कम सात दिनों तक एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार न किया गया हो और न ही पहले नमूने के संग्रह से कम से कम इक्कीस दिन पहले जननांग श्लेष्मा झिल्ली (जेनिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन) की एंटीसेप्टिक धुलाई की गई हो, और पहले नमूने के बाद उनका संभोग या गर्भाधान न हुआ हो;

(iv) गैर-गर्भवती घोड़ियों के मामले में, उपरोक्त तीन नमूनों में से कम से कम एक नमूना, तीस दिनों की निर्यात-पूर्व संगरोध अवधि के भीतर, किसी अनुमोदित निर्यात-पूर्व सरकारी संगरोध केंद्र में, गर्भकाल के दौरान लिया जाना चाहिए;

(v) घोड़े या अन्य अश्व का किसी संक्रमित प्रतिष्ठान से गुजरने के कारण, अप्रत्यक्ष रूप से संक्रामक अश्वीय गर्भाशयशोथ (मेट्रीटिस) से कोई संपर्क नहीं रहा हो।

(**यदि लागू न हो तो काट दें)

(4) घोड़े या अन्य अश्व को निर्यात की तारीख से तीन महीने पहले से प्रतिष्ठान में रखा गया है, जहां अश्व के संक्रामक या संचारी रोग जिनमें इक्विन हर्पीज वायरस 1, ग्लैंडर्स, एपीज़ूटिक लिम्फैंगीटिस, अल्सरेटिव लिम्फैंगीटिस, ट्रिपैनसोइमाइसिस, डौरीन, इक्विन पिरोप्लास्मोसिस, इक्विन रिओपन्यूमोसिस, इक्विन एन्सेफलोमाइलाइटिस (पूर्वी और वेस्टर्न एन्सेफेलाइटिस सहित), वेनेजुएला एन्सेफेलोमाइलाइटिस, इक्विन इन्फ्लूएंजा, इक्विन संक्रामक एनीमिया, पोटोमैक हॉर्स

फीवर, वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण और वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस शामिल हैं, की रिपोर्ट नहीं की गई है और इसी समयावधि के दौरान किसी भी निकटवर्ती परिसर में ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है।

(5) घोड़े या अन्य अश्व को निर्यात से ठीक पहले कम से कम चौदह दिनों की आवश्यक अवधि के भीतर अश्वीय इन्फ्लूएंजा वायरस का टीका लगाया गया हो।

(6) घोड़े या अन्य अश्व बाह्यपरजीवी (एक्टोपैरासाइट) से मुक्त पाए गए हों और उनका कृमिनाशक औषधियों से उपचार किया गया हो।

(7) निर्यात किए जा रहे घोड़े या अन्य अश्व को किसी अनुमोदित सरकारी संगरोध केंद्र में कम से कम तीस दिनों के निर्यात-पूर्व आइसोलेशन में रखा गया हो और सारणी में दिए गए निम्नलिखित निर्दिष्ट परीक्षणों के अधीन रखा गया हो, जिनके परिणाम नकारात्मक रहे हों:

सारणी

रोग (1)	नैदानिक परीक्षण (2)	स्थिति (3)
ग्लैंडर्स	पूरक स्थिरीकरण परीक्षण (सीएफटी)	निर्यात से ठीक पहले पंद्रह दिनों के दौरान।
डौरिन	पूरक स्थिरीकरण परीक्षण (सीएफटी)	निर्यात से ठीक पहले पंद्रह दिनों के दौरान।
घोड़े का संक्रामक एनीमिया (ईआईए)	कॉगिन्स (इम्यूनोडिफ्यूजन) परीक्षण	निर्यात से ठीक पहले तीस दिनों के दौरान।
घोड़े का संक्रामक गर्भपात (साल्मोनेला एबॉर्टस इक्वी)	सीरम एग्लूटिनेशन परीक्षण (टाइटर एक या तीन हजार से अधिक नहीं)	निर्यात से ठीक पहले पंद्रह दिनों के दौरान।
घोड़े का वायरल आर्टेराइटिस (ईवीए)	वायरस पृथक्करण या पॉलीमरेज़ चैन रिएक्शन (पीसीआर)	निर्यात से ठीक पहले अट्ठाईस दिनों के दौरान कम से कम चौदह दिनों के अंतराल पर नकारात्मक परिणाम वाले दो अवसर।
वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस	पूरक स्थिरीकरण परीक्षण (सीएफटी) या एंजाइम-लिंकड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे (एलिसा)	निर्यात-पूर्व संगरोध शुरू होने के कम से कम इक्कीस दिन बाद।
संक्रामक इक्वाइन मेरीटीटिस (सीईएम)	सूक्ष्मजीवों का संवर्धन या रियल टाइम पॉलीमरेज़ चैन रिएक्शन (रियल टाइम पीसीआर)	घोड़ों या अन्य अश्व पशुओं, घोड़ों और गर्भवती घोड़ियों पर रोगजनक (जीवाणु पृथक्करण और पहचान) का पता लगाने के लिए परीक्षण किए जाते हैं, जिनके परिणाम नकारात्मक आते हैं। ये परीक्षण बारह दिनों की अवधि में तीन बार एकत्र किए गए नमूनों पर किए जाते हैं, जिनमें नमूनों के बीच कम से कम तीन दिन का अंतराल होता है, और अंतिम परीक्षण शिपमेंट से तीस दिन पहले किया जाता है। घोड़ों का कम से कम सात दिनों तक एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार नहीं किया गया है और न ही पहले नमूने के संग्रह से कम से कम इक्कीस दिन पहले जननांग श्लेष्मा झिल्ली(जेनिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन) की एंटीसेप्टिक धुलाई की गई है, और पहले नमूने के बाद उनका संभोग या गर्भाधान नहीं हुआ है। और, गैर-गर्भवती घोड़ियों के मामले में, इन तीन नमूनों में से कम से कम एक नमूना, तीस दिनों की

		निर्यात-पूर्व संगरोध अवधि के भीतर, अनुमोदित निर्यात-पूर्व सरकारी संगरोध स्टेशन में, गर्भकाल के दौरान लिया जाना चाहिए।
इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस (बेबेसिया इक्वी और बेबेशिया कैबली)	पॉलीमरेज़ चैन रिएक्शन (पीसीआर)	निर्यात से ठीक पहले तीस दिनों के दौरान।
हेंड्रा और निपाह वायरस	रियल टाइम रिवर्स-ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज़ चैन रिएक्शन (रियल टाइम आरटी-पीसीआर)	निर्यात से ठीक पहले इक्कीस दिनों के दौरान।
वेस्ट नील वायरस	नेस्टेड रिवर्स-ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज़ चैन रिएक्शन (नेस्टेड आरटी-पीसीआर) या रियल टाइम रिवर्स-ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज़ चैन रिएक्शन (रियल टाइम आरटी-पीसीआर) या ऊतक कल्चर में वायरस आइसोलेशन।	निर्यात से ठीक पहले सात से दस दिनों के भीतर नकारात्मक परीक्षण किया जाना चाहिए।
जापानी एंसेफेलाइटिस	रियल-टाइम रिवर्स-ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज़ चैन रिएक्शन (रियल-टाइम आरटी-पीसीआर)	निर्यात से ठीक सात दिन पहले नकारात्मक परीक्षण किया जाना चाहिए।
वेनेजुएला अश्व इंसेफेलाइटिस	रिवर्स-ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज़ चैन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर)	निर्यात-पूर्व संगरोध शुरू होने के कम से कम चौदह दिन बाद।
अश्व राइनोन्यूमोनाइटिस (ईएचवी-1)	पॉलीमरेज़ चैन रिएक्शन (पीसीआर)	निर्यात से ठीक पहले तीस दिनों के दौरान।

टिप्पण1: ऐसे रोगों के संबंध में कोई परीक्षण आवश्यक नहीं है जिनके लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की सूची के अनुसार मुक्ति की स्थिति प्रमाणित की गई है।

टिप्पण2: प्रत्येक परीक्षण के सामने परीक्षण की तारीख भी अंकित की जाएगी।

(8) संगरोध और परिवहन की अवधि के दौरान घोड़ों के लिए उपलब्ध कराया गया सभी चारा ताज़ा, और आराम की जगह स्वच्छ और हार्डजनिकथी।

(9) घोड़े का परिवहन ऐसे अस्तबलों, वाहनों, जलयानों या वायुयानों का उपयोग करके किया गया था जिन्हें प्रेषण के देश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित रीति से पहले से कीटाणुरहित किया गया था।

(10) भारत में प्रवेश के बंदरगाह तक परिवहन के दौरान, घोड़ा कम स्वस्थ अश्वों या ऐसे पशुओं के संपर्क में नहीं आया जिन्हें उसी निर्यात-पूर्व अलगाव में संगरोधित नहीं किया गया है और जिनके पास वही प्रमाण पत्र नहीं है।

(11) घोड़ों या अन्य अश्वों को निर्यात-पूर्व संगरोध और निर्यात-पूर्व प्रतिष्ठान से सीधे शिपमेंट के स्थान तक परिवहन के दौरान कीट वाहकों (वेक्टरों) से संरक्षित किया गया था।

(12) आपातकालीन विश्राम के मामले में, घोड़े को सामान्यतः उसके अस्तबल से नहीं हटाया जाएगा।

हस्ताक्षर _____

आधिकारिक पशुचिकित्सक का नाम और पता
(आधिकारिक मुहर)

स्थान:

तारीख:

(हस्ताक्षर और स्टाम्प मुद्रण के रंग से भिन्न रंग के होने चाहिए)

*शिपमेंट के सात दिनों के भीतर अग्रिम अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए, शिपमेंट परीक्षण की तारीख के बिना आधिकारिक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, घोड़ों की जाँच शिपमेंट के दिन ही की जाएगी और तारीख का उल्लेख अंतिम आधिकारिक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में किया जाएगा।

आयात पश्चात् संगरोध:

(i) भारत में आगमन पर, घोड़ों या अन्य अश्वों की खेप की जांच भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना का.आ. (1495 अ) 1496 और (अ, तारीख जून 10, 2014 में उल्लिखित पशुधन के आयात के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

(ii) घोड़े के एयर फ्लोट में उपलब्ध घास, बिस्तर सामग्री, आहार या चारा को घोड़े के साथ उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे एयर फ्लोट के साथ मूल देश में वापस भेज दिया जाएगा या संगरोध स्टेशन पर नष्ट कर दिया जाएगा;

(iii) घोड़े या अन्य अश्वों को सरकारी संगरोध केंद्र में कम से कम इक्कीस दिनों के लिए संगरोध में रखा जाएगा। संगरोध के दौरान घोड़े के प्रतिकूल नैदानिक अवलोकनों और दीर्घकालिक उपचार के मामले में (तीन दिनों से अधिक), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र-, हिसार द्वारा राय ली जाएगी या परीक्षण किया जाएगा। संगरोध अवलोकनों के दौरान घोड़े की मृत्यु के मामले में, पोस्टमार्टम किया जाएगा और नमूने विस्तृत जांच के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र-, हिसार भेजे जाएंगे तथा संगरोध केंद्र में शव और पशु अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटारा किया जाएगा जिसमें कीटाणुशोधन भी शामिल है।

(iv) संगरोध अवधि के दौरान, घोड़े या अन्य अश्वों को रियलपीसीआर द्वारा अफ्रीकी हॉर्स सिकनेस-टाइम आरटी-, वायरस आइसोलेशन या पीसीआर द्वारा इक्वाइन वायरल आर्टेराइटिस, सीएफटी द्वारा ग्लैंडर्स, बैक्टीरिया आइसोलेशन और पहचान या रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (रियल टाइम पीसीआर) द्वारा संक्रामक इक्वाइन मेट्राइटिस, इक्वाइन के लिए मानक कल्चर और सीरोलॉजिकल परीक्षा के अधीन किया जाएगा। संक्रामक एनीमिया के लिए कॉर्गिस, डॉउरीन के लिए सीएफटी और वेस्ट नाइल वायरस के लिए नेस्टेड आरटी-पीसीआर या रियल टाइम आरटी-पीसीआर या टिशू कल्चर में वायरस आइसोलेशन द्वारा सरकार द्वारा परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी अन्य रोग की जाँच आवश्यक हो, तो नैदानिक निष्कर्षों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली जाएगी;

(v) संक्रामक अश्वारोही मेट्राइटिस के मामले में, घोड़ों या अन्य अश्व, घोड़ों और गर्भवती घोड़ियों को कारक का पता लगाने के लिए परीक्षण के अधीन किया जाएगा, जिसके नकारात्मक परिणाम होंगे, यह परीक्षण बारह दिनों की अवधि के भीतर तीन अवसरों पर एकत्र किए गए नमूनों पर किया जाएगा, नमूना संग्रह के बीच कम से कम तीन दिनों का अंतराल होगा और गैर गर्भवती घोड़ियों के मामले में इन तीन नमूनों में से कम से कम एक नमूना मद के दौरान लिया जाना चाहिए-;

(vi) यदि किसी घोड़े या अन्य अश्व में किसी विदेशी रोग के लिए निर्यातक देश से सकारात्मक या संदिग्ध प्रमाणीकरण पाया जाता है, तो उसे आयातक की लागत पर मूल देश में वापस भेज दिया जाएगा या संगरोध स्टेशन पर नष्ट कर दिया जाएगा, जैसा भी उचित समझा जाएगा; और

(vii) भारत में किए गए उपर्युक्त परीक्षणों की सभी लागतें आयातक द्वारा वहन की जाएंगी।

[फा .सं. 109-02/2009-व्यापार-भाग (1) (ई-21376)]

वर्षा जोशी, अपर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry And Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2025

G.S.R. 737(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898) and in supersession of the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries number G.S.R. 752(E), dated the 5th October, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 8th October, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby regulates the import of horse or other equidae into India in the manner laid down in the Schedule as under:-

SCHEDULE

1. **General requirements.**- The horse or other equidae shall be accompanied with a valid passport or a complete history sheet with an identification certificate duly authenticated by an official veterinarian of the exporting country.

2. In the case of thoroughbred horses, import shall be allowed for the purposes of breeding, polo and sports only and not for racing.

3. **Testing requirements.**- (1) The horse or other equidae shall be tested during pre-export quarantine for applicable diseases through the diagnostic test as mentioned in the Table, prior to the export.

(2) The horse or other equidae shall be imported only through the International airports at Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, Bengaluru or any other airports notified by the Central Government from time to time.

(3) The importer shall submit all the test reports after completion of the tests indicated in the Table, along with a copy of veterinary health certificate to the Regional Officer or Quarantine Officer of the Animal Quarantine and Certification Services attached to the airports, seven days prior to the embarkment and shall obtain a no objection certificate.

(4) The horse or other equidae shall be allowed to disembark only on the receipt of an original no objection certificate.

4. **Special requirements.**- No horse or other equidae shall be imported into the country unless certified by a certificate of veterinary health in English language signed by an official veterinarian licensed and accredited by the exporting State or country in which a physical examination of the same was made as per the Form A.

FORM A

(a) General Information:

Name and address of the Consignor:	Certificate reference No.
	Veterinary Authority:
Name and address of the Consignee:	
Country of Origin:	
Country of Destination:	
Name and address of the establishment or farms (by whatever name called) specify the duration of stay of the horse or other equidae with exact dates:	
Date of shipment: (specify flight number and date of journey. If there is break in journey, indicate the details of break journey)	
Details of the official veterinarian who have examined the horse or other equidae:	
Details of the date of examination, the number of the horse or other equidae examined:	
Details of the establishment or premises at which the horse or other equidae were examined:	
Purpose of Import:	
Import License number and date: (Issued by the Director General of Foreign Trade)	

(b) Details of the horse or other equidae:

Species	Breed	Name and Microchip number	Sex	Age/Date of Birth	Passport No. and Passport issuing authority	Sire	Dam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(c) Diagram, marks and description of the horse or other equidae:

(written description shall agree with the diagram of the horse or other equidae)

Certificate of Health

The undersigned hereby certifies that the horse or other equidae described above has been examined on this day and certifies that:-

- (1) (i) the horse or other equidae is free from African Horse Sickness Virus for the last two years of shipment;
- (ii) the(name of the country) is free from African Horse Sickness Virus for the last two years preceding the export as per World Organisation for Animal Health listing;
- (iii) African Horse Sickness is a notifiable disease in the whole country, systematic vaccination is prohibited and importation of equids and their semen, oocytes or embryos are carried out in accordance with Chapter 12.1 of Terrestrial Animal Health Code of World Organisation for Animal Health;
- (iv) the horse or other equidae have not travelled to or through any country infected with African Horse Sickness during the preceding two years preceding the exportation;
- (v) the horse or other equidae have not shown any clinical sign of African Horse Sickness on the date of exportation;
- (vi) the horse or other equidae was protected from Culicoides attacks at all times when transiting through an infected zone;
- (vii) the horse or other equidae have not been vaccinated against African Horse Sickness (AHS) forty days immediately preceding the exportation.
- (2)*The horse or other equidae shows no clinical signs or symptoms of any infectious or contagious diseases related to the equidae on the day of shipment including Contagious Equine Metritis, Japanese Encephalitis, Dourine, Equine Herpes Virus1, Equine Viral Arteritis, Venezuelan Equine Encephalitis and Glanders.
- (3) (i) **the country of origin has been free from Contagious Equine Metritis for the last two years preceding the exportation as per World Organisation for Animal Health listing;

or

(ii) **the horse or other equidae has been kept in an establishment (name of the establishment) and herd since birth or for at least two years prior to shipment that has been free from infection with Taylorella equigenitalis (Contagious Equine Metritis);

or

(i) kept for at least the last sixty days in a [herd](#) and establishment in which no [case](#) has been reported during that period;

(ii) subjected to tests for the detection of the agent, with negative results, carried out on samples collected on three occasions within a twelve days period, with an interval of not less than three days between sample collections, the last one being carried out within thirty days prior to shipment.

(iii) Horses have not been treated with antibiotics for at least seven days nor subjected to antiseptic washing of genital mucous membranes for at least twenty-one days prior to the first sample collection, and have not been mated or inseminated after the first sampling;

(iv) in case of non-pregnant mares at least one of the above three samples must be taken during oestrus, in an approved pre-export Government quarantine station within the pre-export quarantine period of thirty days;

(v) the horse or other equidae have had no contact with Contagious Equine Metritis indirectly, by passing through an infected establishment.

(**Strike off if inapplicable)

(4) The horse or other equidae has been kept in establishment for three months preceding the date of exportation, where infectious or contagious diseases of Equidae including Equine herpes Virus 1, Glanders, Epizootic Lymphangitis, Ulcerative Lymphangitis, Trypanosomiasis, Dourine, Equine Piroplasmiasis, Equine Rhinopneumonitis, Equine Encephalomyelitis (including Eastern and Western encephalitis), Venezuelan Encephalomyelitis, Equine Influenza, Equine Infectious Anaemia, Potomac Horse Fever, West Nile Virus infection and Vesicular Stomatitis has not been reported and no such disease have occurred on any adjoining premises during the same period of time.

(5) The horse or other equidae has been vaccinated with Equine Influenza virus vaccine within the required period of not less than fourteen days immediately preceding the exportation.

(6) The horse or other equidae has been found to be free from ectoparasites and have been treated with antihelminths.

(7) The horse or other equidae being exported has been kept in pre-export isolation of at least thirty days in an approved Government quarantine station and subjected to the following specified tests in the Table with negative results:

TABLE

Disease (1)	Diagnostic Test (2)	Condition (3)
Glanders	Complement Fixation Test (CFT)	During fifteen days immediately preceding exportation.
Dourine	Complement Fixation Test (CFT)	During fifteen days immediately preceding exportation.
Equine Infectious Anaemia (EIA)	Coggins (Immunodiffusion) Test	During thirty days immediately preceding exportation.
Infectious Equine Abortion (Salmonella abortus equi)	Serum Agglutination Test (titre not greater than one or three thousand)	During fifteen days immediately preceding exportation.
Equine Viral Arteritis (EVA)	Virus isolation or Polymerase Chain Reaction (PCR)	Two occasions at least fourteen days apart with negative result during twenty-eight days immediately preceding exportation.
Vesicular Stomatitis	Complement Fixation Test (CFT) or Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	At least twenty-one days after the commencement of pre-export quarantine.
Contagious Equine Metritis (CEM)	Culture of Micro-organisms or Real Time Polymerase Chain Reaction (Real Time PCR)	horses or other equidae, stallions and pregnant mares are subjected to tests for the detection of the agent (bacterial isolation and identification), with negative results, carried out on samples collected on three occasions within a twelve days period, with an interval of no less than three days between sample collections, the last one being carried out within thirty days prior to shipment. Horses have not been treated with antibiotics for at least seven days nor subjected to antiseptic washing of genital mucous

		membranes for at least twenty-one days prior to the first sample collection, and have not been mated or inseminated after the first sampling. and, in case of non-pregnant mares at least one of these three samples must be taken during oestrus, in an approved pre-export Government quarantine station within the pre-export quarantine period of thirty days.
Equine Piroplasmiasis (Babesia equi and Babesia caballi)	Polymerase Chain Reaction (PCR)	During thirty days immediately preceding exportation.
Hendra and Nipah virus	Real Time reverse-transcription polymerase chain reaction (Real Time RT-PCR)	During twenty-one days immediately preceding exportation.
West Nile Virus	Nested reverse-transcriptase polymerase chain reaction (Nested RT-PCR) or Real Time reverse-transcriptase polymerase chain reaction (Real Time RT-PCR) or Virus isolation in tissue culture.	To be tested negative seven to ten days immediately preceding exportation.
Japanese Encephalitis	Real Time reverse-transcription polymerase chain reaction (Real Time RT-PCR)	To be tested negative seven days immediately preceding exportation.
Venezuelan Equine Encephalomyelitis	reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)	Not less than fourteen days after the commencement of pre-export quarantine.
Equine Rhinopneumonitis (EHV-1)	Polymerase Chain Reaction (PCR)	During thirty days immediately preceding exportation.

Note 1: No Testing is necessary in respect of such diseases for which freedom status has been certified as per World Organisation for Animal Health listing.

Note 2: Date of testing shall also be specified against each test.

(8) All feed and bedding supplied for the horses during the period of quarantine and transportation were fresh, clean and hygienic.

(9) The horse was transported using stalls, vehicles, vessels or aircrafts disinfected in advance in a manner officially approved by the competent authority in the country of dispatch.

(10) Throughout the transport to the port of entry in India, the horse did not come in contact with equidae of a lesser health status or with livestock animals that are not quarantined in the same pre-export isolation and not accompanied by the same certificate.

(11) The horses or other equidae were protected from insect vectors during pre-export quarantine and transportation from pre-export establishment to place of shipment directly.

(12) In case of emergency stopovers, the horse will not normally be removed from its stall.

Signature _____

Place:

Name and address of the Official Veterinarian

Date:

(Official Stamp)

(The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing)

***For advance no objection certificate within seven days of shipment, the official veterinary health certificate without date of shipment examination may be accepted. However, the equid(s) shall be examined on the day of shipment and the date shall be mentioned in the final official veterinary health certificate.**

Post-import Quarantine:

- (i) on arrival in India, the consignment of horses or other equidae shall be examined as per the guidelines and procedure for import of livestock mentioned in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries S.O. 1495 (E) and 1496 (E), dated 10th June, 2014;
- (ii) hay, bedding material, feed or fodder available in horse air float shall not be allowed to disembark with the equine and shall be send back to the country of origin along with air float or destroyed at the quarantine station;
- (iii) the horse or other equidae shall be kept in quarantine for minimum period of twenty-one days at the Government Quarantine Station. In case of adverse clinical observations and long term treatment (more than three days) of equine during quarantine, the opinion or examination by Indian Council of Agricultural Research- National Research Centre on Equines, Hisar shall be taken. In case of death of the equine during quarantine observations, the post-mortem shall be conducted and samples shall be sent to Indian Council of Agricultural Research- National Research Centre on Equines, Hisar for detailed examination and scientific disposal of carcass and animal waste shall be carried out in the quarantine station including disinfection;
- (iv) during the quarantine period, the horse or other equidae shall be subjected to standard culture and serological examination for African Horse Sickness by Real-time RT-PCR, Equine Viral Arteritis by Virus isolation or PCR, Glanders by CFT, Contagious Equine Metritis by bacterial isolation and identification or Real Time Polymerase Chain Reaction (Real Time PCR), Equine Infectious Anaemia by Coggins, Dourine by CFT and West Nile Virus by Nested RT-PCR or Real Time RT-PCR or Virus isolation in tissue culture by the Government. In case of any other diseases need to be tested, the approval of the competent authority shall be taken based on the clinical findings;
- (v) in the case Contagious Equine Metritis, the horses or other equidae, stallions and pregnant mares shall be subjected to tests for the detection of the agent, with negative results, carried out on samples collected on three occasions within a twelve days period, with an interval of no less than three days between sample collections and in case of non-pregnant mares at least one of these three samples must be taken during oestrus;
- (vi) in the event of any horse or other equidae found positive or doubtful certification from the exporting country for any exotic disease, the same shall be deported back to the country of origin or destroyed at the quarantine station as deemed fit at the cost of the importer; and
- (vii) all costs of the above-mentioned tests conducted in India is to be borne by the importer.

[F. No. 109-02/2009-Trade-Part (1) (E-21376)]

VARSHA JOSHI, Addl. Secy.